ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुषमा शर्मा	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजय कुमार	01-04-22 से 17-10-22
2.	श्री आन्दल कुमार	18-10-22 से 24-05-23
3.	श्री बलदेव सिंह	25-05-23 से 31-03-24

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भनाला के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	4.40
2.	05	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	15.14
3.	06	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.51
4.	07	पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में अधिक भुगतान करने बारे	0.16
5.	08	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.08
6.	09	खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बंधित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करना	6.84
7.	10	दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण राशि का अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.03
8.	11	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	8.49
9.	12	आपूर्तिकर्ता को अधिक व अनियमित भुगतान करना	0.05
10.	13	विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में अधिक व अनियमित भुगतान करना	0.16
11.	14	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.67

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है।

अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2014 से 03/2017" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 08-08-2024 से 17-08-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, भनाला

में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	12/22	05/22
2023-24	05/23	07/23

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्क**:-

ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 335 दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भनाला से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत भनाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत भनाला के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	249706.00	120990.00	370696.00	161117.00	209579.00
2023-24	209579.00	3591.00	213170.00	88507.00	124663.00

(ख) अनुदानः- ग्राम पंचायत भनाला के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	1229505.02	7170705.91	8400210.93	6678050.18	1722160.75
2023-24	1722160.75	2722091.60	4444252.35	2930585.60	1513666.75

(ग) दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General	KCCB RAIT	50051791045	124559.00
2.	5TH FC	KCCB RAIT	20040016388	241715.00
3.	SDP	KCCB RAIT	50054058229	284624.00
4.	MMAGY	KCCB RAIT	50061531799	12616.00
5.	SK RELEIF	KCCB RAIT	50059806588	6166.00
6.	15THFC	UCO BANK SHAPHUR	22310110038307	1281049.75
7.	VKVNY	KCCB RAIT	50054423181	99443.00
8.	14TH FC	KCCB RAIT	50051791034	0.00
9.	SC COMPLEX	KCCB RAIT	50051896468	16811.00
10.	MPLAD	KCCB RAIT	50055862468	5037.00

11.	VMJS	KCCB RAIT	50054178568	5901.00
12.	हस्तगत रोकड़			104.00
कुल योग				**2078025.75**

4.1 दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों के शेषों का परस्पर अन्तर :-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2078025.75
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	1638329.75
अंतर	**439696.00**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹4.40 लाख का अन्तर पाया जाना

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को **₹439696.00** की राशि का अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 355(क)(1) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भनाला से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान कर लिया जायेगा व जिसे आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. अनुदान राशि ₹15.14 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹1513666.75 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 355(क)(2) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भनाला से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदानों के सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.51 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है, के लिए उधार

दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹50650 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	645	50	86200	32250	118450	100800	17650
2023-24	660	50	17650	33000	50650	0	50650

उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी एवं मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता नहीं लगाया जा सका। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि न केवल उपरोक्त नियमों की अवहेलना है अपितु यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 355(क)(3) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृह कर की वसूली करके करके अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. पंचायत सदस्यों को ₹0.16 लाख का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(3)20/95-III-16882-17042 दिनांक 06.05.2023 के अनुसार, प्रधान ग्राम पंचायत को मासिक मानदेय **₹6000 व उप-प्रधान** ग्राम पंचायत को मासिक मानदेय **₹4000 तथा** निर्वाचित सदस्यों (वार्ड पंच) को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप **₹500** प्रति बैठक, (बशर्ते एक महीने में अधिकतम दो बैठकें हों) **के रूप में** मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही के वाउचर संख्या 40 दिनांक 07-11-23 के अनुसार अवधि 9//2023 से 10/2023 के दौरान पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान किया गया था परन्तु इस अवधि के दौरान पंचायत पदाधिकारियों को **₹15500 का** मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है -:

क्रम संख्या	पंचायत पदाधिकारी का नाम	पद	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वास्तविक भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)	टिप्पणी
1.	श्रीमति सुषमा शर्मा	प्रधान	14000	12000 (6000 x 2)	2000	--
2.	श्री जन्म सिंह	उप प्रधान	11000	8000 (4000 x 2)	3000	--
3.	श्रीमति सलोचना देवी	वार्ड पंच	3000	1500 (500 x 3)	1500	माह अक्टूबर 2023 में केवल एक ही मीटिंग दिनांक 25.10.2023 को हुई थी।
4.	श्रीमति लीला देवी	वार्ड पंच	3000	1500 (500 x 3)	1500	माह अक्टूबर 2023 में केवल एक ही मीटिंग दिनांक 25.10.2023 को हुई थी।
5.	श्रीमति विद्या देवी	वार्ड पंच	3000	1500 (500 x 3)	1500	माह अक्टूबर 2023 में केवल एक ही मीटिंग दिनांक 25.10.2023 को हुई थी।
6.	श्रीमति अनु देवी	वार्ड पंच	3000	1500 (500 x 3)	1500	माह अक्टूबर 2023 में केवल एक ही मीटिंग दिनांक 25.10.2023 को हुई थी।
7.	श्री विन्दिया देवी	वार्ड पंच	3000	1500 (500 x 3)	1500	माह अक्टूबर 2023 में केवल एक ही मीटिंग दिनांक 25.10.2023 को हुई थी।
8.	श्री हरवंश सिंह	वार्ड पंच	3000	1500 (500 x 3)	1500	माह अक्टूबर 2023 में केवल एक ही मीटिंग दिनांक 25.10.2023 को हुई थी।
9.	श्री विनोद कुमार	वार्ड पंच	3000	1500 (500 x 3)	1500	माह अक्टूबर 2023 में केवल एक ही मीटिंग दिनांक 25.10.2023 को हुई थी।
कुल योग					**15500/-**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 355(क)(6) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया

जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली कर ली जायेगी और आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा |

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान को या तो पूर्णतया न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि दोबारा न दोहराई जाये |

8. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.08 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना अपेक्षित है :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2022-23	5200
2	2023-24	3000
	कुल योग	**8200**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 355(क)(5) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ANNUAL REPORT

9. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹6.84 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार सविंदाकारों/विक्रेताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" जमा उपलब्ध करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -3 में** सलंग्न विवरण के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मासों के दौरान **₹684220**/- का अनियमित भुगतान तथा पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की

स्पष्ट अवेहलना के चलते अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356(ख)(1) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों/निर्देशों की जानकारी के अभाव के कारण फॉर्म "X या W" नहीं लिए गए। अत: भविष्य में खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित फॉर्म "X या W" प्राप्त करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा उतर नियमों/निर्देशों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" की प्राप्ति उपरांत ही किये जाने थे|

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण ₹0.03 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे :-

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धन राशि की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत बैठक व मनरेगा मस्टरोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ निम्न विवरणानुसार अर्जित किया गया था, जोकि उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है :-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल/ पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि(₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि(₹)
1.	जन्म सिंह	.....1114...... 01.05.2023 से 15.05.2023	निर्माण चारदीवारी मोक्ष धाम चोरी	06.05.2023	500	212
2.	हरवंश सिंह	.....3604...... 16.08.2023 से 31.08.2023	निर्माण लिंक रोड सड़क से किशोरी लाल के घर तक	21.08.2023	500	212
3.	जन्म सिंह	..... 242...... 03.04.2023 से 15.04.2023	निर्माण चारदीवारी व मैदान मोक्ष धाम चोरी वार्ड न०3	06.04.2023	500	212
4.	हरवंश सिंह	...4200.... 01.09.2023 से 15.09.2023	निर्माण लिंक रोड सड़क से किशोरी लाल के घर तक	05.09.2023	500	224
5.	हरवंश सिंह	....4560.... 16.09.2023 से 30.09.2023	निर्माण लिंक रोड सड़क से किशोरी लाल के घर तक	22.09.2023	500	224
6.	विद्या देवी	....4560.... 18.10.2023 से 31.10.2023	ग्रामीण सम्पर्कता लिंक रोड विदू राम के घर से विचित्र के घर की ओर	25.10.2023	500	224

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 355(क)(4) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अनियमित भुगतान की वसूली कर ली जाएगी और आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः उपरोक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. क्रय किये गये सामान राशि ₹8.49 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹848940/-** के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	शीर्ष	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	राशि(₹)
1.	शून्य	**मनरेगा**	50 दिनांक 16.12.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	450 CFT 900 CFT	66700
2.	शून्य	**मनरेगा**	43 दिनांक 16.04.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	200 CFT 150 CFT	15000
3.	शून्य	**मनरेगा**	65 दिनांक 17.09.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	180 CFT 200 CFT	27990
4.	शून्य	**मनरेगा**	61 दिनांक 16.12.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	180 CFT 200 CFT	45000
5.	शून्य	**मनरेगा**	64 दिनांक 21.09.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	375 CFT 750 CFT	57675

6.	शून्य	**मनरेगा**	68 दिनांक 16.12.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	445 CFT 800 CFT	59900
7.	शून्य	**मनरेगा**	56 दिनांक 16.12.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	500 CFT 1000 CFT	71375
8.	शून्य	**मनरेगा**	46 दिनांक 16.12.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	275 CFT 450 CFT	35375
9.	शून्य	**मनरेगा**	62 दिनांक 21.01.22	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	400 CFT 800 CFT	57875
10.	शून्य	**मनरेगा**	44 दिनांक 16.01.22	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	230 CFT 460 CFT	32075
11.	शून्य	**मनरेगा**	42 दिनांक 16.08.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	365 CFT 715 CFT	47525
12.	शून्य	**मनरेगा**	60 दिनांक 16.12.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	370 CFT 730 CFT	48725
13.	शून्य	**मनरेगा**	67 दिनांक 07.09.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	500 CFT 1000 CFT	65500
14.	शून्य	**मनरेगा**	54 दिनांक 16.12.21	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	260 CFT 515 CFT	34925
15.	शून्य	**मनरेगा**	70 दिनांक 21.01.22	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	400 CFT 800 CFT	50000
16.	शून्य	**मनरेगा**	71 दिनांक 21.02.22	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	400 CFT 800 CFT	50000
17.	शून्य	**मनरेगा**	178 दिनांक 19.06.23	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	240 CFT 450 CFT	37550
18.	शून्य	**मनरेगा**	168 दिनांक 19.06.23	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड स्पलायर	रेत बजरी	350 CFT 750 CFT	45750
				कुल योग			**848940/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356(ख)(5) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करने के उपरांत अंकेक्षण को अवगत कर दिया जायेगा ।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख न रखने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

12. निर्माण कार्य स्थापना पानी टंकी हेतु निविदा में अंकित दर की बजाय अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

15TH FC शीर्ष के वाउचर संख्या P/12 दिनांक 18.05.2022 व बिल संख्या 623 दिनांक 04.01.2022 के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा Water tanki MS Sheet 14 guage size 4X4 with tab के क्रय हेतु मै. हिमाचल ट्रेडर को भुगतान किया गया था परन्तु उक्त सामग्री की क्रय दर की पुष्टि हेतु वर्ष 2021-22 की निविदाओं की तुलना करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त सामग्री का क्रय निविदा में अंकित दर के बजाय अधिक दर पर किया गया था जिसके फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹4500 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष	वाउचर संख्या/दिनांक	मद का विवरण	कुल मात्रा	अदायगी दर (₹)	अदायगी की गई राशि (₹)	निविदा में अंकित दर (₹)	निविदा की दर के अनुसार भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
1	15TH FC	P/12 दिनांक 18.05.2022	Water tanki MS Sheet 14 guage size 4X4 with tab	3	30000	90000	28500	85500	4500
	कुल अधिक भुगतान								**4500/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356(ख)(7) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली कर ली जायेगी और आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान को या तो पूर्णतया न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि दोबारा न दोहराई जाये।

ANNUAL REPORT

13. विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.16 लाख के अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत, सीमेंट, शटरिंग) का निष्पादन निर्धारित मापदंडो के अनुसार कम किया गया दर्शाया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (रेत, बजरी, सीमेंट) का क्रय/ स्टॉक रजिस्टर के अनुसार अधिक जारी की गई थी तथा बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या / पृष्ठ संख्या	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या/बिल संख्या दिनांक	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि(₹)
1	निर्माण निकासी नाली भानी दास की जमीन से सिमरो की जमीन तक	28872 पृष्ठ संख्या 1, 13-14	**स्टॉक रजिस्टर** पृष्ठ **संख्या** 07/30.06.22	सीमेंट	130 बैग	111 बैग	19 बैग	343.74	6531
								कुल योग (A)	**6531/-**
2	निर्माण चेक डेम कमल की जमीन में	28872 पृष्ठ संख्या 18-20	**स्टॉक रजिस्टर** पृष्ठ **संख्या** 05/30.06.22	सीमेंट	65 बैग	50 बैग	15	343.74	5156

			स्टॉक रजिस्टर पृष्ट संख्या 12/30.06.22	रेत	200 CFT	186 CFT	14 CFT	45	630
	कुल योग (B)								5786/-
3	C/O Water Tank Jaram lal land	7076 पृष्ट संख्या 49	बिल संख्या 46 दिनांक 16.12.2021	रेत	275 CFT	226 CFT	49 CFT	45	2205
				बजरी	450 CFT	428 CFT	22 CFT	40	880
			स्टॉक रजिस्टर पृष्ट संख्या 04/27.12.21	सीमेंट	65 बैग	63 बैग	2 बैग	343.74	687
	कुल योग (D)								3772
	कुल योग (A+B+C+D)								16089/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356(ख)(6) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली कर ली जायेगी और आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षाकम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. ₹0.67 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार भुगतान से सम्बन्धित मूल अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/ दिनांक	भुगतान की तिथि	शीर्ष/ आयोग	राशि (रु)
1	65 दिनांक 17.09.2021	17.05.2022	मनरेगा	27990
2	73 दिनांक 06.01.2021	17.05.2022	मनरेगा	38875
कुल योग				**66865/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356(ख)(7) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा |

अत: वस्तुस्थिति अनुसार, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

15. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि(₹)
1.	2022-23	05/22	1346235.27
2.	2023-24	07/23	694644.34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356(ख)(3) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

16. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 05/22 व 07/23 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 05/22 व 07/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356(ख)(4) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण

को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता के चलते क्रोस मोनिटरिंग के अभाव में किसी भी स्तर पर धन, एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	वर्गीकृत सार रजिस्टर	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
7	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
8	बिल रजिस्टर	13	48
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए.बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356(ख)(8) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356(ख)(9) दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GP BHANALA/86 दिनांक 17.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमों की औपचारिकताओं को पूरा किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

19. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

20. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्र0 08 NOV 2024
5309– 5313

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)164/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

08 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्र0

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	249706.00	120990.00	370696	161117.00	209579.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 249706.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT BHANALA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	209579.00	3591.00	213170	88507.00	124663

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 209579.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhanala
Dev. Block Rait (Kangra) H.P.

प्रधान ग्राम पंचायत भनाला

हस्ताक्षर......

25

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP BHANALA BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	59394.27	1638.00	61032.27	61032.27	0.00
2	MGNREGA	0	3549626.91	3549626.91	3549626.91	0.00
3	VKVNY	9677	991376.00	1001053.00	779567.00	221486.00
4	5TH FC	230190	234876.00	465066.00	204340	260726.00
5	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	4752	137.00	4889.00	0.00	4889.00
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDP	32574	279359.00	311933.00	104080	207853.00
9	SK RELIEF	5819	165.00	5984.00	0.00	5984.00
10	VMJS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SC COMPLEX	15862	453.00	16315.00	0.00	16315.00
12	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	VMJS	5568	159.00	5727.00	0.00	5727.00
15	MMAGY	11903.00	340.00	12243.00	0.00	12243.00
16	15TH FC	853765.75	2112576.00	2966341.75	1979404.00	986937.75
	TOTAL	1229505.02	7170705.91	8400210.93	6678050.18	1722160.75

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP BHANALA BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	1865178.60	1865178.60	1865178.60	0.00
3	VKVNY	221486.00	2206.00	223692.00	102992.00	120700.00
4	5TH FC	260726.00	309056	569782.00	306552	263230.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	4889.00	148	5037.00	0	5037.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDP	207853.00	353000	560853.00	276229	284624.00
9	SK RELIEF	5984.00	182.00	6166.00	0.00	6166.00
10	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SC COMPLEX	16315.00	496.00	16811.00	0.00	16811.00
12	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	VMJS	5727.00	174.00	5901.00	0.00	5901.00
15	MMAGY	12243.00	373.00	12616.00	0.00	12616.00
16	15TH FC	986937.75	191278.00	1178215.75	379634.00	798581.75
	TOTAL	1722160.75	2722091.60	4444252.35	2930585.60	1513666.75

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 1722160.75

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhanala
Dev. Block Rait (Kangra) H.P.

26

BANK DETAIL OF GP BHANALA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB RAIT	50051791045	249426.00
2	5TH FC	KCCB RAIT	20040016388	230190
3	SDP	KCCB RAIT	50054058229	32574
4	MMAGY	KCCB RAIT	50061531799	11903.00
5	SK RELEIF	KCCB RAIT	50059806588	5819
6	15THFC	UCO BANK SHAPHUR	22310110038307	1318597.75
7	14TH FC	KCCB RAIT	50051791034	59394.27
8	VKVNY	KCCB RAIT	50054423181	9677
9	SC COMPLEX	KCCB RAIT	50051896468	15862
10	MPLAD	KCCB RAIT	50055862468	4752
	VMJS	KCCB RAIT	50054178568	5568
		CASH IN HAND		280
		TOTAL		1944043.02

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB RAIT	50051791045	175869.00
2	5TH FC	KCCB RAIT	20040016388	203392.00
3	SDP	KCCB RAIT	50054058229	207853.00
4	MMAGY	KCCB RAIT	50061531799	12243.00
5	SK RELEIF	KCCB RAIT	50059806588	5984.00
6	15THFC	UCO BANK SHAPHUR	22310110038307	1443825.75
7	VKVNY	KCCB RAIT	50054423181	221486.00
8	14TH FC	KCCB RAIT	50051791034	0.00
9	SC COMPLEX	KCCB RAIT	50051896468	16315.00
10	MPLAD	KCCB RAIT	50055862468	4889.00
11	VMJS	KCCB RAIT	50054178568	5770.00
		CASH IN HAND		1500.00
		TOTAL		2299126.75

BANK DETAIL OF GP BHANALA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB RAIT	50051791045	124559.00
2	5TH FC	KCCB RAIT	20040016388	241715.00
3	SDP	KCCB RAIT	50054058229	284624.00
4	MMAGY	KCCB RAIT	50061531799	12616.00
5	SK RELEIF	KCCB RAIT	50059806588	6166.00
6	15THFC	UCO BANK SHAPHUR	22310110038307	1281049.75
7	VKVNY	KCCB RAIT	50054423181	99443.00
8	14TH FC	KCCB RAIT	50051791034	0.00
9	SC COMPLEX	KCCB RAIT	50051896468	16811.00
10	MPLAD	KCCB RAIT	50055862468	5037.00
11	VMJS	KCCB RAIT	50054178568	5901.00
		CASH IN HAND		104.00
		TOTAL		2078025.75

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhanala
Dev. Block Rait (Kangra) H.P.

हस्ताक्षर.......

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT BHANALA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	645	50	86200	32250	118450	100800	17650

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT BHANALA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	660	50	17650	33000	50650	0	50650

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhanala
Dev. Block Rait (Kangra) H.P.

हस्ताक्षर......

28

परिशिष्ट - 3

चयनित मासों के दौरान खनन सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किये गये भुगतानों का विवरण :-

क्रम संख्या	शीर्ष	वाउचर संख्या/दिनांक	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री का विवरण			बिल राशि	निर्माण कार्य का नाम
					रेत (CFT)	बजरी (CFT)	पत्थर		
1	मनरेगा	शून्य	050/16.12.2021	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	450	900	--	56250	निर्माण कुहल जोगिन्दर की जमीन
1.	मनरेगा	शून्य	043/16.04.2021	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	200	150	--	15000	निर्माण सुरक्षा दिवार भू संरक्षण किशोरी लाल की जमीन
2.	मनरेगा	शून्य	065/17.09.2021	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	180	200	--	16100	निर्माण कुहल धर्म चंद की जमीन में
3.	मनरेगा	शून्य	061/16.12.2021	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	331	687	--	42375	निर्माण लिंक रोड प्रवीन के घर से तारा चंद के घर तक
4.	मनरेगा	शून्य	064/21.09.2021	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	375	750	--	46875	निर्माण कुहल अमर सिंह की जमीन
5.	मनरेगा	शून्य	068/16.12.2021	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	445	800	--	52025	निर्माण चेक डेम चम्पा देवी की जमीन
6.	मनरेगा	शून्य	056/16.12.2021	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	500	1000	--	62500	निर्माण चेक डेम जन्म सिंह की जमीन
7.	मनरेगा	शून्य	067/16.12.2021	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	500	1000	--	62500	निर्माण लिंक रोड चुहू सिंह के घर से कुलदीप के घर तक
8.	मनरेगा	शून्य	054/16.12.2021	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	260	515	--	32300	निर्माण लिंक रोड भानी दास की जमीन में
9.	मनरेगा	शून्य	109/30.06.2022	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	300	150	--	19500	निर्माण मोक्ष धाम चोरी
10.	मनरेगा	शून्य	123/30.09.2022	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	360	345	--	30000	निर्माण कुहल विचित्र सिंह की जमीन में
11.	मनरेगा	शून्य	111/30.06.2022	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	140	270	--	18450	निर्माण भू संरक्षण करनैल की जमीन में
12.	मनरेगा	शून्य	110/15.10.2022	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	200	370	--	23800	निर्माण भू संरक्षण पूर्ण चंद की जमीन में
13.	मनरेगा	शून्य	139/15.10.2022	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	200	500	--	29000	निर्माण लिंक रोड शक्ति चंद के घर तक
14.	मनरेगा	शून्य	140/15.10.2022	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	200	500	--	29000	निर्माण लिंक रोड शक्ति चंद के घर तक
15.	मनरेगा	शून्य	180/18.07.2023	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	160	170	--	27890	निर्माण चारदीवारी मोक्ष धाम चोरी
16.	मनरेगा	शून्य	179/18.07.2023	मै. शिव शक्ति ट्रेडर एंड सप्लायर	200	225	--	19275	निर्माण गौशाला मोती राम

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev Block Rait (Kangra)